न्यायालय उपजिलाधिकारी/असि0कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, सदर– उन्नाव।

वाद संख्या 125

धारा 143ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0

ग्राम महाई परगना हडहा तहसील व जिला उन्नाव।

सविता एण्ड राम फाउण्डेशन आदि बनाम सरकार।

निर्णय

वादी सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेडा महाई उन्नाव द्वारा सचिव डा0 सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम हिन्दपाल खेडा मजरा महाई परगना हडहा तहसील व जिला उन्नाव व शैलेन्द्र कुमार पुत्र रवि शंकर निवासी ग्राम महाई परगना हडहा तहसील व जिला उन्नाव ने एक वाद धारा 143 धारा 143ज0वि0 एव भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि वादी स0 490 की गाटा स. 1448 रकबा 0.250हे0 व 1449 रकबा 0.0760 हे0 व 1452 रकबा 0.1140 हे0 सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेडा महाई द्वारा सचिव डा0 सुरेन्द्र कुमार सिह पुत्र श्री राम सिह व गाटा खाता 146 स0 की गाटा स0 1451 रकबा 0.2150 हे0 व गाटा संख्या 1445 रकबा 0.2510हे0 व गाटा संख्या 1437 रकबा 0.076हे0 तथा गाटा संख्या 1446 रकबा 0.1140हे0 सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेडा महाई उन्नाव द्वारा सचिव डा0 सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिह के नाम सक्मणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। उक्त जमीन पर सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेडा महाई का विद्यालय भवन बना हुआ है। अन्त में गाटा सं0 1448 रकबा 0.250हे0, व 1449 रकबा 0.0760 हे0 व 1452 रकबा 0.1140 हे0 व 1451 रकबा 0.2150 हे0 [illegible]टा संख्या 1445 रकबा 0.2510हे0 व गाटा संख्या 1437 रकबा 0.076हे0 तथा गाटा [illegible]ा 1446 रकबा 0.1140हे0 का आवासीय प्रयोजन हेतु आकृषित घोषित किये जाने का [illegible]ोध किया है। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या मांगी गयी।

तहसीलदार की आख्या दिनांक 18.12.2012 प्राप्त हुई। जिसमे लिखा है कि ग्राम महाई परगना हडहा तहसील व जिला उन्नाव की खाता सं0 490 की गाटा सं0 1448/0.025हे0, 1449/0.076हे0 व 1452/0.114हे0 व खाता सं0 146 की गाटा सं0 1451/0.215हे0 व गाटा संख्या 1445 रकबा 0.2510हे0 व गाटा सख्या 1437 रकबा 0.076हे0 तथा गाटा संख्या 1446 रकबा 0.1140हे0 के खातेदार सविता एण्ड राम फाउण्डेशन हिन्दपाल खेडा महाई द्वारा सचिव डा0 सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम हिन्दपाल खेडा मजरा महाई के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित प्रस्तावित भूमि पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पाल, बागवानी पशुपालन का कार्य नही किया जा रहा है। प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी की [illegible] सजरी नक्शा साथ में संलग्न है। आवेदक की प्रस्तावित भूमि सीलिंग भूदान व पट्टे से प्राप्त नही है। प्रस्तावित भूमि गॉव सभा की नही है। प्रस्तावित भूमि पर खातेदार का कब्जा है। प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व व कब्जे का कोई विवाद नही है। ग्राम महाई परगना हडहा तहसील व जिला उन्नाव लीडा के अन्तर्गत घोषित नही है। मौके पर भूमि पर